

फर्द अहकाम

बनाम

मजिस्ट्रेट एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, बस्सी

क्रमांक नम्बर :

आज्ञा विस्तृत रूप से

विशेष विवरण

कनाम एगुमान मु.नं. 296/16 व उक्त
 वाड प्रमुनालापण कनाम अर्जुन मु.नं.
 67/17 में चाही गई रिबीफ व वाड
 उक्त मुक्ति समान है तथा निर्णय न
 दोता में एक ही होता है ऐस सिद्धि में
 आदेश 10 CPC के तहत पश्चात वाली
 वाड प्रमुनालापण कनाम अर्जुन मु.नं.
 67/17 को खोली वाड हरचमा कनाम
 एगुमान मु.नं. 296/16 के साथ समीता
 किये जाने के आदेश दिये जाते है।

पश्चात वाली नम्बर से कान हेकर
 वाड हरचमा कनाम एगुमान मु.नं.
 296/16 के साथ समीता हो।

Om
 14.2.18